In the Court of Vivek Kumar Tripathi, D.A.J.-VII, Gopalganj.

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–581/2026

महम्मदपुर थाना कांड सं0–78/2026

उपस्थितः– विवेक कुमार त्रिपाठी

Order Date-15-04-2026

उमेश कुमार ....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार...विपक्षी पक्ष

आवेदक के तरफ से श्री नवनीत कुमार ओझा, विद्वान अधिवक्ता ।

बिहार सरकार के तरफ से श्री प्रेम कुमार वर्मा, अपर लोक अभियोजक।

15.04.2026

आवेदक उमेश कुमार, जो महम्मदपुर थाना कांड संख्या–78/26 अन्तर्गत धारा–316(2), 318(4), 173 बी0एन0एस0 के अभियुक्त हैं, के तरफ से अपने गिरफ्तारी होने की आशंका के कारण दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ।

उभय पक्ष को सुना ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और नहीं ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है, न खारिज किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को झूठा फंसाया जा रहा है ताकि आवेदक को नौकरी से निकालकर किसी अन्य को बी0डी0ओ0 द्वारा नियुक्त किया जा सके। आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाये।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत का विरोध किया गया ।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सिधवलिया को दिनांक–23.02.2026 को अधोहस्ताक्षरी के मोबाईल पर एक ऑडियो क्लिप प्राप्त हुआ, जिसमें उमेश कुमार, ग्रामीण आवास सहायक द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभुक पप्पु कुमार मांझी से योजना का लाभ दिलाने के बदले अवैध राशि पच्चीस हजार रूपये की मांग की गयी। जिसकी शिकायत लाभुक द्वारा अधोहस्ताक्षरी को की गई तथा इस

संबंध में आवास सहायक से स्पष्टीकरण की मांग की गई जिसका जवाब प्राप्त हुआ। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक–214 दिनांक–24.02.2026 उप विकास आयुक्त महोदय को सूचित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया। उपर्युक्त प्रसंग के आलोक में उप विकास आयुक्त, गोपालगंज द्वारा संबंधित ग्रामीण आवास सहायक के विरूद्ध स्थानीय थाना में उक्त के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया।

कांड दैनिक प्राप्त है। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है। कांड दैनिकी के पारा–8 एवं 9 में साक्षियों ने वाइरल ऑडियो क्लिप में अभियुक्त उमेश कुमार के आवाज होने की पुष्टि नहीं की है। कांड दैनिकी में अभियुक्त के स्पष्टीकरण का जवाब संलग्न है जिसमें अभियुक्त ने लगाये आरोप से इनकार किया है तथा पप्पु कुमार अपने भाई के बन रहे मकान से लाभ की दूसरी किस्त को प्राप्त करने के लिए अभियुक्त उमेश कुमार को फेक ऑडियो कॉल द्वारा फंसाया जा रहा है। आवेदक अभियुक्त का कांड दैनिकी में कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। अनुसंधान अभी जारी है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ देना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक उमेश कुमार के तरफ से मो0 **दस हजार** रूपये का बंध पत्र साथ उसी समान राशि के **दो** प्रतिभू दाखिल करने पर तथा निम्न न्यायालय के संतुष्टि पर आवेदक के गिरफ्तार होने पर या आज की तिथि से ***अट्ठाइस दिनों*** के अन्दर आत्मसमर्पण करने पर अन्तर्गत धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है ।

लेखापित

(विवेक कुमार त्रिपाठी)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम्

गोपालगंज

दिनांक–15.04.2026

Date of Judgment/Order	15-04-2026
Date of Reserving Judgment/ Order	
Uploading Date	19-04-2026
Uploaded By	Rohit Kumar